



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012023-243311
CG-DL-E-31012023-243311

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2023/माघ 11, 1944

No. 440]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2023/MAGHA 11, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2023

का.आ. 455(अ).—केंद्रीय सरकार, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को तम्बाकू बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती वाणिज्य मंत्रालय, (तम्बाकू उद्योग विकास नियंत्रण) के संख्याक का.आ.5417, दिनांक 17 दिसंबर, 1975 की भारत सरकार की अधिसूचना में, आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, "धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के तहत चयनित" शीर्षक के अंतर्गत, क्रम संख्या 2 और 3 तथा इनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"2 श्री अरविन्द धर्मापुरी, सदस्य (लोकसभा द्वारा चयनित), संसद सदस्य, लोकसभा

3. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी, सदस्य (लोकसभा द्वारा चयनित)" संसद सदस्य, लोक सभा।

2. सदस्यों का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके संसद (लोकसभा) के सदस्य बने रहने तक, जो भी पहले हो, होगा।

[फा. सं. 2/2/2013-ईपी (एग्री. VI)]

राजेश अग्रवाल, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना दिनांक 17 दिसंबर, 1975 की अधिसूचना संख्याक का.आ.5417, द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा उसमें विगत संशोधन 30 सितंबर, 2022 की अधिसूचना संख्याक का.आ. 4625 (अ), द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2023

S.O. 455(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby appoints the following persons to be the members of the Tobacco Board and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce (Tobacco Industry Development Control), number S.O.5417, dated the 17th December, 1975, namely:-

In the said notification, under the heading, “Elected under clause (b) of sub-section (4) of section 4”, for serial numbers 2 and 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

- | | | |
|-----|--|-------------------------------------|
| “2. | Shri Arvind Dharmapuri,
Member of Parliament, Lok Sabha | Member (Elected by the Lok Sabha) |
| 3. | Shri Balashowry Vallabhaneni, Member of
Parliament, Lok Sabha | Member (Elected by the Lok Sabha)”. |

2. The term of office of the members shall be for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette or till they ceased to be a Member of the Parliament (Lok Sabha), whichever is earlier.

[F. No. 2/2/2013-EP(Agri.VI)]

RAJESH AGRAWAL, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* notification number S.O.5417, dated the 17th December, 1975 and was lastly amended *vide* notification number S.O. 4625 (E), dated the 30th September, 2022.